कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: प्रपत्र – 6 ::

निम्नांकित प्राध्यापक **अंग्रेजी** स्कूल शिक्षा को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	विद्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृति तिथि
1	PURKHA RAM	ENGLISH	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, DHANAU, BARMER (221044)	17-02-1962	28-02-2022

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिक के विरूद्ध आज तक :–

1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम– 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम– 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–1/अंग्रेजी–संस्कृत/सेवानिवृति/2021–22 दिनांकः 21/9/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् प्रेषित है :–

1 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2 संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
5 सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
6 संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक से स्टाम्प पर न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त कर उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को पंजीकृत डाक से अविलम्ब भिजवावें।
7 संबंधित कार्मिक
8 निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते